

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 05/2020-

राँची, दिनांक-

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

रामगढ़।

श्री भैरव प्रसाद महतो, जनवितरण प्रणाली दुकानदार,

ग्राम-डिमरा, पो0-सोनडिमरा, थाना-बरलेगा प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़।

विशय:- श्री नरेश बेदिया, ग्राम-डिमरा, पो0-सोनडिमरा, थाना-बरलेगा, प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़ के मामले में सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री नरेश बेदिया, ग्राम-डिमरा, पो0-सोनडिमरा, थाना-बरलेगा, प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़ द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र के मामले में अगली सुनवाई दिनांक - 27.10.2020 को 2.00 बजे अपराहन में निर्धारित की गई है। अतः आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विभवासभाजन

ह0/-

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक- 14.10.2020

ज्ञापांक:- रा0आ0आ0 (वाद) 05/2020- 639

प्रतिलिपि:- श्री शंभू कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रज्ञा केन्द्र को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए श्री नरेश बेदिया, ग्राम-डिमरा, पो0-सोनडिमरा, थाना-बरलेगा, प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़ के मामले में सुनवाई से सम्बन्धित पत्र प्राप्त करा दें एवं यह स्पष्ट कर दें कि उन्हें सुनवाई की तिथि दिनांक- 27.10.2020 को अपराहन 2.00 बजे उन्हें किस प्रज्ञा केन्द्र में उपस्थित होना है। अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।